न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ बिश्नोई आर0ए0एस)

मु0 संख्या :– 18/2018

प्रार्थी		अप्रार्थी
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर	बनाम	1. श्री प्रवीण पाठ्क पुत्र ब्रजबिहारी पाठ्क उम्र 42 वर्ष जाति पाठ्क मूल निवासी सहिजना गडवा ज्योतिश्री सिनेमा हॉल के पास, झारखण्ड मेसर्स टूलिप होट्ल इन्दिरा कॉलोनी, जैसलमेर 2. श्रीकिसन सुथार पुत्र अर्जुनराम सुथार टूलिप होट्ल इन्दिरा कॉलोनी, जैसलमेर 3. मेसर्स टूलिप होट्ल इन्दिरा कॉलोनी, जैसलमेर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011)

उपस्थित :–

1. श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. श्री संजय सिंह जनरल मैनेजर, होट्ल डेजर्ट ट्यूलिप, इन्दिरा कॉलोनी, जैसलमेर अप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से।
3. श्रीकिशन सुथार पुत्र अर्जुनराम सुथार टूलिप होट्ल इन्दिरा कॉलोनी, जैसलमेर।
4. मेसर्स टूलिप होट्ल इन्दिरा कॉलोनी, जैसलमेर।

–:: निर्णय ::– दिनांकः 21.05.2019

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थीगण के विरुद्व न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। यह है की प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.01.2018 को 01:00 पीएम पर मैसर्स टूलिप होट्ल इन्दिरा कॉलोनी, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी मेसर्स टूलिप होट्ल इन्दिरा कॉलोनी, जैसलमेर दुकान/संस्थान पर विक्रेता श्री प्रवीण पाठ्क पुत्र ब्रजबिहारी पाठ्क कारोबार कर रहा था, उसने विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसका अपना अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र मौके पर दिखाया एवं उसकी प्रमाणित छाया प्रति दी जो संलग्न है। अप्रार्थीगण मौके पर निरीक्षण के समय दुकान में पनीर का खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था। प्रार्थी द्वारा विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या ए5 की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात पनीर लगभग 02 किलो के प्लास्टीक की

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

थैली में डीप फ्रीज में से नमूने वास्ते लिये जिसके पेटे 240 रूपये नगद देकर गवाहन, विकेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। प्रार्थी ने खरीद सुदा पनीर 250-250 ग्राम के चार नमूने लिये प्रत्येक में परिरक्षक बतौर बीस-बीस बूंद फोरमुलिंग मिलाई जिसको प्लास्टिक के जार पर मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्सेक नमुना जार पर चिपकाए एवं लेबलो पर डीओं कोड एवं क्रमांक नम्बर एन-791 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये और जार को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ, जैसलमेर की हस्ताक्षर सुदा पेपर स्लीप एन-791 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप ऊपर धागे से बाधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मुहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद पदार्थ का विवरण एन-791 पनीर लिख कर हस्ताक्षर किये। चारो नमूनो भागो को अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेता एवं गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये प्रार्थी स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को खादय सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05.01.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 04.01.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/5594-96 दिनांक 15.02.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./12/Act/2018/31 दिनांक 18.01.2018 अनुसार उक्त नमूना अमानक (सब-स्टेण्डर्ड) पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

बाद श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/स्वी./एन-791/29259 दिनांक 06.08.2018 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। यह है कि उक्त केस में विकेता 1. श्री प्रवीण पाठक पुत्र ब्रजबिहारी पाठक उम्र 42 वर्ष जाति पाठक मूल निवासी सहिजना गडवा ज्योतिश्री सिनेमा हॉल के पास, झारखण्ड मेसर्स टूलिप होटल इन्दिरा कॉलोनी, जैसलमेर 2. श्रीकिसन सुथार पुत्र अर्जुनराम सुथार टूलिप होटल इन्दिरा कॉलोनी, जैसलमेर 3. मेसर्स टूलिप होटल इन्दिरा कॉलोनी, जैसलमेर ने अमानक (सबस्टेण्डर्ड) पनीर का विक्रय करके खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

2. अप्रार्थी श्री किशन सुथार व श्री संजय सिंह की ओर से दिनांक 08.05.2019 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के कम में जवाब पेश कर निवेदन किया कि अनवान प्रकरण में मुल्जिम पर लगाये गये आरोप मुल्जिम स्वेच्छा से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वीकार करता है। हमारे प्रतिष्ठान से पनीर का नमूना लिया गया था जो कि श्री प्रवीण पाठक कि देखरेख में लिया गया था, जो मानक रिपोर्ट के अनुसार पाया गया है। ओर उसके बाद श्री प्रवीण पाठक को होटल से निकाल दिया गया है। ओर वो अभी जैसलमेर में नही है। यह कि पनीर के जॉच हेतु दिये गये थे जो कि अवमानक (सब-स्टेण्डर्ड) पाया गया है। मेरे प्रतिष्ठान में पनीर भी स्वयं दूध से तैयार करता हूँ। लेकिन विधि अनुसार पनीर बनाने में घी की मात्रा निकल जाती है। जो की पनीर के अन्दर घी की मात्रा कम पायी गयी है। मुल्जिम का प्रथम अपराध होने के कारण नरम रूख अपनाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण आज ही किए जाने की प्रार्थना है। भविष्य में ओर भी अच्छा पनीर बनाया जायेगा व पूर्ण सावधानी रखी जावेगी तथा किसी प्रकार की लापरवाही की पुनरावृति नही होगी। अतः प्रार्थना पत्र जुर्म स्वीकारोक्ति पेश कर अर्ज है कि नरम रूख अपनाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जावे ।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब व प्रस्तुत दस्तावेजात मय बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विवेचन पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./12/Act/2018/31 दिनांक 18.01.2018 के अनुसार पनीर का उक्त नमूना अवमानक (सब-स्टेण्डर्ड) पाया गया हैं। वही अप्रार्थीगण स्वयं द्वारा भी अपने जबाब प्रार्थना पत्र में जुर्म स्वीकार किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा जुर्म स्वीकार करनें से प्रार्थी पक्ष को इस्तगाशा के तथ्यों को साबित करनें अथवा साक्ष्य सबूत पेश करनें की आवश्यकता नही रही है। परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी श्री किशन सुथार जो मेसर्स दूलिप होट्ल इन्दिरा कॉलोनी, जैसलमेर फर्म के प्रापराईटर द्वारा अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) स्तर की खाद्य वस्तु पनीर विकय के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 02 पर **3,00000/- अक्षरे तीन लाख रूपये मात्र** की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी संख्या 01से 02 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 21.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

Scanned by CamScanner